

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा

116-जैतारण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री अविनाश गहलोत,

बेरा - आकेलिया, जैतारण तहसील - जैतारण

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : पाली

दिनांक: 03-12-2023



(श्याम सुन्दर बिश्नोई)

रिटर्निंग अधिकारी

116- जैतारण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जैतारण)

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)

रिटर्निंग अधिकारी

116- जैतारण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जैतारण (व्यावर)

Form 21 C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of

RAJASTHAN (State) From **116-JAITARAN** Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that -

Shri AVINASH GEHLOT,
BERA - AKELIYA, JAITARAN TEHSIL - JAITARAN
sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : PALI

Dated : 03 December, 2023




(**Shyam Sundar Bishnoi**)
Returning Officer
116-Jaitaran Assembly Constituency
(Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Jaitaran)
(**Shyam Sundar Bishnoi**)
Returning Officer
116- JAITARAN Legislative Assembly
(Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate),
Jaitaran (Beawar)